



कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशित है।

आदेश आल दिनांक 19.11.2020 को जूने न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कतिबन्तर को भंगालन करे।
300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा करायें, साथ ही कतिबन्तर फीस 500/-को भी निमानुसार अवसथ्यागत रूपसे देकर निम्न के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा निमानुसार निर्धारित शुल्क कर्ष भूमि की खाला संख्या 96 की आ.न. 1420 रकबा 0.6575 है, भूमि स्थित है। जिसकी पथरगोठी राजस्थान ग्राम औद्योगिक पटवार हल्का औद्योगिक क्षेत्र-अभिलेख निर्देशक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि

आदेश

तथ्य को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।
हैरफोटी होने का कोई आदेश नहीं है तथा न ही किसी प्रकार आधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन भूमि की पथरगोठी कराने का आधिकार है। जैसे भी इस प्रकार के आदेश से आधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के व्यापक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खालादोटी कर्ष प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता की सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफ का कर्षोपलब्धि अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 12 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता पथरगोठी के आदेश प्रदान करया जावे।
प्रार्थी अपने खाते की खालादोटी कर्ष भूमि की पथरगोठी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर मध्य प्रस्ताव आराजी के सीमा विन्द नहीं होने से आवे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होगा है। इसलिए की आ.न. 1420 रकबा 0.6575 है, भूमि स्थित है। बावजूद प्रार्थी के विपक्षीगण पडोसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के औद्योगिक क्षेत्र-अभिलेख निर्देशक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कर्ष भूमि की खाला संख्या 96 तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.09.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम औद्योगिक पटवार हल्का प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के

निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—अप्रार्थीगण

1. श्री नाक पुत्र उदा अहिर नि. औद्योगिक।
2. श्री प्या पुत्र उदा सुतबन्ना दोला जी अहिर नि. औद्योगिक।
3. श्री भगवाना पुत्र शैक गाली नि. औद्योगिक।
4. श्री सीला पुत्र शैक गाली नि. औद्योगिक।
5. श्री देवीलाल पुत्र रामा गाली नि. औद्योगिक।
6. श्री नारायण पुत्र कृपा गाली नि. औद्योगिक।
7. श्री शंकर पुत्र उदयराम गाली नि. औद्योगिक।
8. श्री कर्ण पुत्र रामा गाली नि. औद्योगिक।
9. श्री शंकर पुत्र स्व. नारायण अहिर नि. औद्योगिक।
10. श्री माणु पुत्र रामा सुतबन्ना धासी अहिर नि. औद्योगिक।
11. श्री लाल राम पुत्र प्या अहिर नि. औद्योगिक।
12. श्री रतन पुत्र छोगा अहिर नि. औद्योगिक।
13. राजस्थान राज्य जारिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

बनान

—प्रार्थीगण

01. श्री कर्ण पुत्र सीला सुतबन्ना छोगा जी अहिर, निवासी औद्योगिक।
02. श्री रतन पुत्र सीला जी अहिर निवासी औद्योगिक।
03. श्री शंकर लाल पुत्र सीला अहिर नि. औद्योगिक।
04. श्री सीलाराम पुत्र उदा अहिर नि. औद्योगिक।
05. श्री लालाई पति स्व. श्री नन्दा अहिर नि. औद्योगिक।
06. श्री शंकर लाल पुत्र श्री नन्दा अहिर नि. औद्योगिक।
07. श्री राधेश्याम पुत्र स्व.श्री नन्दा अहिर नि. औद्योगिक।
08. श्री किशन पुत्र चन्दा अहिर नि. औद्योगिक।
09. श्रीमति सीता पत्नी स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औद्योगिक।
10. श्री पद्म पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औद्योगिक।
11. श्री कमलेश पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औद्योगिक।
12. टीन पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औद्योगिक।
13. रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री नारायण अहिर नि. औद्योगिक तह हमीरगढ जिला भीलवाड़ा।

अनवान

प्रकरण संख्या 74 / 2020

न्यायालय उपखण्ड आधिकारी हमीरगढ
पीठासीन आधिकारी श्री विकास पवली (आ.ए.एस)

उपखण्ड आधिकारी
(विकास पवली)